No. 9/8/86-6Lab/2586.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Labour Court, Faridabad, in respect of the dispute between the workman and the management of M/s. Roneo Vickers India Ltd., 14/2 Mathura Road, Faridabad.

IN THE COURT OF SHRI R. N. SINGAL, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, FARIDABAD

Reference No. 766 of 1985

between

SHRI MOHAN JHA, WORKMAN AND THE RESPONDENT-MANAGEMENT OF M/S. RONEO VICKERS INDIA LTD., 14/2, MATHURA ROAD, FARIDABAD

Present :

None for the parties.

AWARD

This industrial dispute between the workman Shri Mohan Jha and the respondent management of M/s. Roneo Vickers India Ltd., 14/2, Mathura Road, Faridabad has been referred to this Court by the Hon'ble Governor of Haryana,—*vide* his order No. ID/FD/85/50531-35, dated 13th December, 1985 under section 10 (i)(c) of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication. The terms of the reference are:—

Whether the termination of services of Shri Mohan Jha was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

Both the parties have been served through personal service. Called many a times. It is 11.55 a.m. None is present for the workman. It shows that the workman is not interested to persue this reference. Hence the award is given that there is no dispute between the parties.

Dated the 20th March, 1986.

R. N. SINGAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

Endst. No. 738, dated 13th March, 1986

Forwarded (four copies) to the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh, as required under section 15 of the I. D. Act.

R. N. SINGAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

No. 9/8/86-6 Lab./2587.—In pursuence of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Labour Court, Faridabad in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Metals India Plot No. 128, Sector 25, Ballabgarh.

IN THE COURT OF SHRI R. N. SINGAL, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, FARIDABAD

Reference No. 324 of 1985

between

SHRI DAYAL SINGH, AND THE MANAGEMENT OF M/S METALS INDIA PLOT NO. 12 SECTOR, 25, BALLABGARH

Present :

Shri Manohar Lal for the Workman

Shri Ramesh Kumar for the respondent-management.

AWARD

This industrial dispute between the workman Shri Dayal Singh and the respondent-management of M/s Metals India Plot No. 128 Sector 25, Ballabgarh. has been referred to this Court by the Hon'ble Governor of Haryana,—*vide* his order No. ID/FD/42-85/28109-14, dated 5th July, 1985, under section 10 (i) (c) of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication. The terms of the reference are:—

Whether the termination of services of Shri Dayal Singh was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

The parties have settled their dispute. According to the statement of representative of parties the workman has settled his dispute. Photo copy of the settlement is Ex.M-1. He has received Rs. 1665.60 p. in full and final settlement of all his claims. Photo copy of the receipt is Ex.M.2. He has no right of reinstatement/re-empolyment with the management.

In view of the above settlement, the award is given that the dispute has been fully settled.

R. N. SINGAL,

Dated the 26th February, 1986. Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

Endst. No. 739, dated the 13th March 1986

Forwarded (four copies) to the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

R. N. SINGAL,

Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

KULWANT SINGH,

Secretary to Government, Haryana,
Lobour and Employment Department.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 7 अप्रैल, 1986

सं०ओ०वि०/पानी/24-86/12296.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मोहन आयरन फऊण्डरी जी. टी. रोड समालखा (करनाल) के श्रमिक श्री ओमप्रकाश भटनागर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ओम प्रकाश भटनागर सुपुत्र श्री राम धन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है,

सं० ओ० वि०/12302.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरैक्टर दी सिरसा सैन्ट्रल को प० बैंक लि०, सिरसा के श्रमिक श्री गोपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गोपाल सिंह, सुपुत्र श्री नन्द राम की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर हो कर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लीयन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. औ.वि./12308.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मैनेजर डायरेक्टर कन्फेड हरियाणा, चण्डीगढ़ (2) मैनेजर कन्फेड भिवानी के श्रमिक श्री राम कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायर्णिय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम,78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम कुमार, पुत्र श्री बुध राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 9 अप्रैल, 1986

सं० औ०वि०/यमुनानगर/6-86/12572.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ (2) जनरल मैनेजर हरियाणा राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री सुनील दत्त तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई [illegible] हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 [illegible] 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय [illegible] कि उक्त प्रबन्धकों तथा [illegible] विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत [illegible]

[illegible] किस राहत का